

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय

संचिका संख्या-03/उ०नि०(नई योजना)-03/2007 खण्ड-1

आदेश

उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक सं०-240 दिनांक-30.01.2017 द्वारा माह जनवरी, 2017 से प्रति जिला उद्योग केन्द्र को ₹23900/- (तेईस हजार नौ सौ रूपये) मात्र प्रतिमाह की दर से मोटर वाहन एवं ईंधन सहित (एक हजार किलोमीटर प्रतिमाह) भाड़े की गाड़ी रखने की स्वीकृति प्रदान की गई है। GST लागू होने के फलस्वरूप उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए GST मद में भुगतान की गई राशि को अतिरिक्त व्यय के रूप में वाहन एवं ईंधन मद में सम्मिलित करते हुए व्यय भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

शेष नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगे।

ह०/-

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक...../

पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक...../

पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि:- सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार/महाप्रबंधक, सभी जिला उद्योग केन्द्र, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 1455...../

पटना, दिनांक 14.3.19

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, उद्योग विभाग, बिहार/उद्योग निदेशक के निजी सहायक/अपर सचिव, उद्योग विभाग के निजी सहायक/उप उद्योग निदेशक(योजना), उद्योग विभाग/आय-व्यय पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/बजट शाखा/आय-व्यय शाखा/प्रशाखा-1 योजना(सरकार) आई०टी० प्रबंधक उद्योग विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

11.3.19